<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)</u> दांडिक प्रकरण क्रमांक —1121/2014

संस्थित दिनाक—24.10.2014

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड

.....अभियोजन

<u>विरूद्ध</u>

निर्णय

(आज दिनांक 25.11.2014 को घोषित)

<u>निष्कर्ष</u>

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिध्दि कर 100–100/ – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2–2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

ा रूपये) राजसात वि , जावे। (सिराज अर्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला—बालाघा जप्तशुदा रूपये 350 / – (तीन सौ पचास रूपये) राजसात किये जावे तथा

बैहर, जिला–बालाघाट

WITHOUT PARTY PART